FORM NO. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

कृष्ण वगै0 बनाम राज0 सरकार

अन्तर्गत धाराः प्रा0पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट प्र0 सं0 03/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, जिसे अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का हक प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 12, 15, 16, 18, 25, 26, 29, 29/198, 94, 94/213 कुल किता 10 कुल रकबा 7.51 है0 वाके ग्राम टोडरवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की राजस्व टीम गठित कर मौके पर नाप कर नियमानुसार पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी नांगल राज.(दौसा)	